19 सूत्रीय कार्यक्रम के ब्यौरे

2746. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं में निरंतर देरी तथा निर्माण लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक 19 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है जिसके आधार पर विलंब होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी:

(ख) यदि हां, तो उक्त 19 सूत्री कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने यह निर्णय कब लिया;

(ग) क्या इस निर्णय के आधार पर निर्माणाधीन परियोजनाओं में हुई कतिपय देरी के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं; जिनके मामले में अब तक कार्रवाई की जा चुकी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, सरकार के निर्णय के अनुसरण में, योजना आयोग ने उन परियोजनाओं, जहां लागत और समय सीमा से अधिक हो जाता है/हो गया है, मैं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मैकेनिज्म विकसित किया है:

(1) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक स्थायी समिति गठित की जाए जिसके अध्यक्ष अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव हों और सदस्यों के रूप में योजना आयोग, व्यय विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हों। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और समिति द्वारा तथा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना को मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) स्थायी समिति की रिपोर्ट पर समिति के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और पीआईबी/ईएफसी मामलों में पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाएंगे और दूसरे मामलों में 200 करोड़ और उससे अधिक की परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को प्रस्तुत की जाएगी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उन पर की गई कार्रवाई सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. 200 करोड़ रुपए से कम लागत के पीआईबी/ईएफसी मामलों में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई सीधे मंत्रालय/विभाग द्वारा सीसीईए को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) स्थायी समिति के लिए परिचालित पृष्ठभूमि नोट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल किया जाना चाहिए (1) लागत और समय सीमा से अधिक बढ़ जाने के कारणों पर एक संक्षिप्त किन्तु व्यापक और स्वतःस्पष्ट नोट (2) अनुमोदन की तारीख से शुरू करते हुए एक विस्तृत तैथिकी अथवा घटनाक्रम और (3) विधिवत रूप से भरी गई चैक लिस्ट, जिसके प्रतिलिपि विवरण में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(4) उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त मैकेनिज्म सीसीईए को भेजे जाने वाले सभी मामलों पर लागू होगा।

(5) उन मामलों में जहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर परियोजना लागत बढ़ाने को स्वीकृति देने में सक्षम है, लागत और समय के सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित का कर्त्तव्य उन्हीं का होगा।

(ग) उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, मंत्रालयों/विभागों ने योजना आयोग द्वारा विकसित मैकेनिज्म के अनुसार स्थायी समितियां पहले ही गठित कर ली हैं और वे समय और लागत के सीमा से अधिक बढ़ जाने की जांच कर रही हैं और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/एजेंसियों की पहचान कर रही हैं।

(घ) जब और जैसे ही स्थायी समितियों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वे प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीसीईए को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

समय और लागत के सीमा से अधिक बढ़ जाने के उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए चैकलिस्ट

क — प्रशासनिक और कार्यविधिक विलम्ब

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी/ व्यक्ति
*स्वीकृति पत्र	
— विलम्ब से जारी	—
— पीटीसी, लागत जिम्मेदारी आदि परिभाषित न करना	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
आरसीई पर कार्रवाई	
— प्रस्तुत करने में विलम्ब	—
— पूर्व-पीआईबी बैजक में विलम्ब	—
— परिचालन में विलम्ब	—
— मूल्यांकन में विलम्ब	—
— पीआईबी/ईएफसी बैठक में विलम्ब	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

ख — भूमि अधिग्रहण

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी/ व्यक्ति
*अपेक्षा/उपयुक्तता का आकलन	
— आकलित नहीं किया गया	—
— भूमि क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया	—
— स्थान/अवस्थिति का सर्वेक्षण नहीं किया गया	—
— निरीक्षण/मृदा-परीक्षण नहीं किया गया	—
— निरीक्षण/परीक्षण व्यावसायिक नहीं है	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
*अधिगृहण प्रक्रिया	
— अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई	—
— कार्रवाई की गई लेकिन कब्जा नहीं लिया गया	—
— समय पर कब्जा नहीं लिया गया	—
— कब्जा लिया गया किन्तु अतिक्रमण द्वारा	—
— वन भूमि स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई	—
— विस्थापितों का पुनर्वास नहीं किया गया	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

ग—निधि दबाव

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी/व्यक्ति
* सामान्य	
— अपेक्षा का उपयुक्त रूप से आकलन नहीं किया गया	—
— पर्याप्त निधियों के बिना मंजूरी	—
— निधियां जारी करने के लिए विलम्ब से अनुरोध	—
— निधियां जारी करने में विलम्ब	—
— इस परियोजना के लिए निधियों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली दूसरी परियोजनाएं शुरू करना	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* विदेशी ऋण/अनुदान	
— समय पर रोका नहीं किया	—
— समय पर रोका गया लेकिन डी०ई०ए० में विलम्ब	—
— वैकल्पिक निधियों की पहचान नहीं की गई	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी / व्यक्ति
* आंतरिक संसाधन	
— अपर्याप्त रूप से आकलित	—
— परियोजना के वित्त-पोषण को प्रभावित करने वाली नई परियोजनाएं शुरू करना	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* घरेलू उधार	
— उधार लेने की क्षमता का अतिरेक-आकलन	—
— अग्रिम कार्रवाई नहीं की गई	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* राज्यों आदि से समनुरूपी संसाधन	
— अंशदायकों से विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई	—
— निधियां समय पर जारी नहीं की गईं	—
— जारी की गई किंतु अंश रूप से	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

ख—तकनीकी / डिजाइन समस्याएं

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी / व्यक्ति
* दोषयुक्त तकनीकी पैरामीटर	
— अपेक्षित प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई	—
— डी०एफ०आर० की खराब गुणवत्ता	—
— परामर्शदाताओं की छटाई नहीं की गई	—
— विकल्प पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं किए गए	—
— तैयार योजनाओं / डिजाइनों को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदित नहीं कराया गया	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* विस्तार क्षेत्र / प्रमात्रा और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन	
— जांचों / सर्वेक्षणों की अपर्याप्तता	—
— आकार / माप में परिवर्तन	—
— समय पूर्व देखे जा सकने वाले परिवर्धन लेकिन जिन्हें समय पूर्व देखा नहीं जा सकता (नये विनियम, पर्यावरण आदि)	—
— कम-आकलन	—
— गलत प्रौद्योगिकी चयन	—
— वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की अग्रिम पहचान न कर पाना	—
— उपयुक्त वैंडरों की पहचान न करना	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* पी०एस०यू० की तैयारी की स्थिति	
— परियोजना टीम समय पर नियुक्त नहीं की गई	—
— सांविधिक स्वीकृति अग्रिम रूप से तैयार नहीं किए गए	—
— अभिन्यास योजनाएं / डिजाइन समय पर तैयार नहीं किए गए	—
— आधारभूत इंजीनियरिंग समय पर नहीं की गई	—
— तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

ङ—टैंडर/अनुबंध

असफलता	उत्तरदायी व्यक्ति/एजेंसी
* अग्रिम कार्रवाई	
— आकार/विनिर्देशनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया	—
— ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की पहचान नहीं की गई	—
— अनुबंध शर्तों को उपयुक्त रूप से तैयार नहीं किया गया	—
— जॉब पैकेज अव्यावसायिक रूप से तैयार किए गए	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* टैंडर के लिए समय अनुसूची	
— तैयार नहीं किया गया	—
— निविदा दस्तावेज तैयार करने में विलम्ब	—
— निविदा नोटिस जारी करने में विलम्ब	—
— निविदाओं को खोलने और उनके मूल्यांकन में विलम्ब	—
— ठेका देने में देरी	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* अनुबंधनीय शर्तों की अप्रभावोत्पादकता	
— द्रव्यता (लिक्विडिटी) हानि शर्तें शामिल नहीं की गई	—
— द्रव्यता हानि शर्तों की मांग नहीं रखी गई	—
— द्रव्यता हानि शर्तें पर्याप्त नहीं हैं	—
— ठेकेदार की खराब निष्पादन	—
— गुम कड़ियों के कारण ठेकेदार की असफलता	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

च—कार्यान्वयन योजना और मानीटरिंग मैकेनिज्म

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी/व्यक्ति
* शुरू करने की अनुसूची	
— शुरू करने की अनुसूची यथार्थवादी नहीं है	—
— कार्यकलापों का अनुक्रमण और उन्हें अनुसूचीबद्ध करना व्यावसायिक नहीं है	—
— कोई बार चार्ट/पी०ई०आर०टी० डायग्राम तैयार नहीं किया गया	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* कार्यान्वयन योजना	
— महत्वपूर्ण कार्मिक समय पर नहीं रखे गए	—
— निष्पादन के लिए पद्धतियों को अंतिम रूप देने में देरी	—
— कड़ियों का सही ढंग से आकलन न करना	—
— खतरों/अनिश्चितताओं की पहचान नहीं की गई	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—
* परियोजना स्तर पर मानिटरंग मैकेनिज्म	
— परियोजना के लिए नोडल अधिकारी (मुख्य कार्यपालक) अधिनामित नहीं किया गया	—
— आवधिक समीक्षा नहीं की गई	—
— प्रगति की समीक्षा की गई किन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

असफलता	उत्तरदायी एजेंसी/ व्यक्ति
* मंत्रालय स्तर पर मानीटरंग मैकेनिज्म	
— स्थापित नहीं किया गया	—
— प्रगति की समीक्षा आवधिक रूप से नहीं की गई	—
— प्रगति की समीक्षा की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई	—
— समस्याएं ई०सी०/क्यू०पी०आर० के समक्ष नहीं लाई गई	—
— ई०सी०/क्यू०पी०आर० की समीक्षा लाई गई किन्तु समाधान नहीं किया गया	—
— अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—

Renaming of ongoing Schemes

2747. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that government have renamed some of the ongoing schemes recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the need and justification therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) to (c) A Central Scheme entitled "Intelligence, Enforcement and Manpower Training" was being implemented by the Deptt. of Food and Civil Supplies. During 1998, the scope of the Scheme was extended from organising lectures/seminars/workshops to discussing various policy aspects relating to the Pubic Distribution System (PDS) and was enlarged, subsequently, to cover the purchase of computer systems for establishing connectivity of the Directorates of Food and Civil Supplies of the States/UTs with the NIC network for better monitoring of the PDS. With these changes, it was felt that the new activities were not adequately reflected by the old title of the Scheme whose name was changed to "Training, Research and Monitoring".

In this connection, it may be mentioned that a Committee was set up in the Planning Commission in February, 1997 to review and rationalise the various Centrally — sponsored Schemes for poverty alleviation and employment generation. The Committee, inter-alia, recommended merger of the self-employment component of the Nehru Rozgar Yojana (NRY) and the Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMIUPEP) into one Programme and of the wage-employment component of these Schemes into another Programme, with a distinct identity, for implementation in urban areas; the Shelter Upgradation/Housing component of the NRY and the PMIUPEP were to be a separate Scheme or merged with slum development programmes.

Keeping in view the recommendations of the Committee, the Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana was launched with effect from 1st December 1997, while the PMIUPEP and Urban Basic Services Programme (UBSP) have been phased out. The Programme has two sub-schemes namely: (a) Urban Self-Employment Programme and (b) Urban Wage Employment Programme. The Shelter Upgradation components of both the NRY and the PMIUPEP have been merged with the National Slum Development Programme (NSDP).

The Finance Minister's Budget Speech (1999-2000), inter-alia, stated that the existing Integrated Rural Development Programme (IRDP) and its sub-schemes